-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.08.2023

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसंडा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कैरी में दिनांक 23/24.08.2023 की रात्रि अज्ञात बदमाशों द्वारा व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की घटना का थाना बिसंडा पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण।**
- **मृतक की पत्नी ने ही अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर कराई थी हत्या। पत्नी समेत 02 अन्य अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार जबकि एक अभियुक्त है फरार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में शामिल अवैध तमंचे बरामद।**
- **हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटकर जनवरी 2023 में घर आया था मृतक। मृतक की पत्नी का दुश्मन राजकुमार से था संबंध। राजकुमार भी अपने भाई राजाराम की हत्या का लेना चाहता था बदला।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा थाना बिसंडा क्षेत्र के कैरी में दिनांक 23/24.08.2023 की रात्रि हुई व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी समेत 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23/24.08.2023 की रात्रि में थाना बिसंडा क्षेत्र के कैरी में एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले को जल्द खुलासे एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे। पुलिस द्वारा सघन जांच में पाया गया मृतक बालकरन ने अक्टूबर 2005 में पास के ही राजाराम पटेल की हत्या कर दी थी जिस मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काटकर जनवरी 2023 में घर आया था। सजा की अवधि के दौरान बालकरन की पत्नी संतोषिया का संबंध मृतक राजाराम के भाई राजकुमार से हो गया था। जेल से आने के बाद बालकरन अपनी पत्नी संतोषिया को प्रताड़ित करता था तथा उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाता था। बालकरन की हत्या के बाद पुलिस द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि घटनास्थल तथा जिस स्थान पर शव बरामद हुआ है, दोनों अलग-अलग है। मुख्य घटनास्थल पर ताजी लिपाई करके साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इस पर पुलिस का शक मृतक की पत्नी संतोषिया की ओर गया। पुलिस द्वारा संतोषिया से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने पति बालकरन से परेशान थी तथा उसका संबंध दुश्मन राजकुमार से था तथा वह अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। दोनों ने मिलकर कई बार बालकरन की हत्या की योजना बनाई परन्तु सफल न हो सके। कुछ दिन पहले बालकरन की पास के ही रामनरेश उर्फ पंचा से बकरा घुसने को लेकर विवाद हो गया था तथा पंचा भी अपना बदला लेना चाहता था। दिनांक 23/24.08.2023 की रात्रि में जब बालकरन अपने घर में छप्पर के नीचे चटाई डालकर सो रहा था तो इसी दौरान उसकी पत्नी संतोषिया ने राजकुमार को फोन करके उसे बुला लिया। राजकुमार अपने भतीजे राजेश पटेल व एक अन्य व्यक्ति पंचा को लेकर दरवाजे पर आ गया। संतोषिया ने दरवाजा खोलकर तीनों को अन्दर बुला लिया। तीनों में मिलकर गोली मारकर बालकरन की हत्या कर दी और शव को उठाकर पास ही हैंडपंप के पास रख दिया। जब तीनों अभियुक्त वहां से चले गये तो संतोषिया ने घर का दरवाजा बन्द कर चटाई को जला कर राख नाली में फेंक दी तथा उस स्थान की लिपाई कर दी। सर्विलांस की मदद् ट्रेस करने पर पाया गया कि बालकरन की पत्नी संतोषिया की लगातार बातचीत अभियुक्त राजकुमार से होती थी। पुलिस द्वारा संतोषिया को उसके घर से तथा अभियुक्तों राजकुमार व रामनरेश को कैरी मोड़ को पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी-

- अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से 01 अदद् तमंचा 12 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर
- अभियुक्त रामनरेश उर्फ पंचा के कब्जे से 01 अदद् तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सन्तोषिया पत्नी स्व0 बालकरन नि0 कैरी थाना बिसंडा जनपद बांदा (मृतक की पत्नी)
2. राजकुमार पटेल पुत्र स्व0 मोतीलाल पटेल नि0 कैरी थाना बिसंडा जनपद बांदा
3. रामनरेश पटेल उर्फ पंचा पुत्र रामनारायण पटेल नि0 कैरी थाना बिसंडा जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 357/2023 धारा 302 भादवि व बढ़ोत्तरी 201/120B भादवि थाना बिसंडा जनपद बांदा